न्यायालय: अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा, राज.।

पीठासीन अधिकारी : शक्ति सिंह (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 105/2026

सी.आई.एस. नंबर : 98/2026

1. आसिफ पुत्र मकसूद, निवासी चिल्ला थाना तावडू, जिला नूहं मेवात, हरियाणा।

---**प्रार्थी/आरोपी**

बनाम

राजस्थान राज्य

" अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

प्र.सू.रि.सं. 167/2025, पुलिस थाना मुण्डावर

अपराध अंतर्गत धारा 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधि0 1995

<u>उपस्थिति.</u>:-

1. प्रार्थी/आरोपी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ईश कुमार।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से ।

::**<u>आदेश</u>**:: **दिनांक :-02-06-2026**

1. प्रार्थी/आरोपी आसिफ पुत्र मकसूद, निवासी चिल्ला थाना तावडू, जिला नूहं मेवात, हरियाणा की ओर से उक्त अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रकरण की केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। इस आदेश के माध्यम से उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी श्री चंदर पुत्र हरचन्द निवासी बासनी पुलिस थाना मुण्डावर ने पुलिस थाना मुण्डावर में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 30-03-2025 को सांय करीब साढे नौ बजे की बात है। उनके गांव बासनी में अलीपुर की तरफ से एक पिकअप गाडी रजिस्ट्रेशन नंबर आर-जे-49-जी-ए-4089 आ रही थी, जिसमें गाये भरी हुई थी। खटीक मोहल्ले के पास गांव बासनी में पिकअप को ग्रामवासियों की मदद से रोका गया तो पिकअप में तीन गौवंश को सूत की रस्सी से मुंह, सींग व पैर बांधकर बेरहमी से पटक रखा था। मौके पर एक व्यक्ति को पकडा तथा उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम फकरूदीन बताया तथा मौके पर दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये, जिनका नाम आसिफ तथा जमशेद मेव होना

बताया। उक्त तीनों बदमाश पिकअप गाडी में गौवंश भरकर गौकसी के लिए हरियाणा लेकर जा रहे थे, जिनमें से एक बदमाश फकरूदीन को पिकअप गाडी व तीन गौवंश सहित पकडकर मौके पर ही सूचना पर आयी मुण्डावर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया---------इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मुण्डावर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 167/2025, अंतर्गत धारा 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधि0 1995 में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रार्थी/आरोपी को तफतीश हेतु तलब किया गया परंतु प्रार्थी/आरोपी तफतीश हेतु अनुसंधानकर्ता के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में प्रार्थी/आरोपी को दस्तयाब किया जाना व उससे तफतीश किया जाना शेष होकर प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानरत है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आरोपी की ओर से दौराने बहस जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थी तथाकथित घटना दिनांक को मौके पर उपस्थित नहीं था। पुलिस ने मिथ्या व मनघडंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध झूँठा मुकदमा बनाया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी अथवा अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यदि पुलिस द्वारा बेजा रूप से प्रार्थी को गिरफतार किया जाता है तो उससे प्रार्थी की समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अतः प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

5. इसके खण्डन में विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिए हैं कि प्रार्थी/आरोपी द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर गोकशी के लिए गोवंश का परिवहन किया जा रहा था। अनुसंधान से भी प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये है। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानरत है, यदि प्रार्थी/आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है तो उससे अनुसंधान प्रभावित होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

6. उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रकरण में परिवादी चंदर द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिनांक 30-03-2025 को प्रार्थी/आरोपी द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गोकशी के लिए तीन गोवंशीय पशुओ को परिवहन

करने के आरोप लगाये गये हैं। थाना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध धारा 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधि0 1995 का आरोप प्रमाणित पाये जाने का अंकन करते हुए प्रार्थी/आरोपी का अपनी गिरफतारी से बचने के लिए अपने मस्कन से रूहपोश होना एवं उससे अनुसंधान शेष होना बताया गया है। पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	मुकदमा सं.	थाना	धारा
01.	64/2024	सदर तावडू	186, 332, 353, 307, 34 आई.पी.सी

7. पत्रावली के अवलोकन से अनुसंधान से प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध धारा 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधि0 1995 का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है तथा प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध धारा 37 पुलिस एक्ट का वारण्ट जारी है एवं प्रार्थी/आरोपी रूहपोश चल रहा है, इस तरह प्रार्थी/आरोपी से अनुसंधान शेष होना स्पष्ट है। अतः इस स्तर पर उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

::**आदेश**::

8. अतः प्रार्थी/आरोपी आसिफ पुत्र मकसूद, निवासी चिल्ला थाना तावडू, जिला नूहं मेवात, हरियाणा की ओर से प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(शक्ति सिंह)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा

9. आदेश आज दिनांक 02-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा